न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी– श्री नरेश कुमार मालव
आर.ए.एस.

मिसल संख्या:	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
22/अपील/2018	11.01.2018	29.06.2018

बंशी लाल आ0 कालूलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम सोरण तहसील हिण्डोली जिला बून्दी (राजस्थान) – अपीलांट

– बनाम –

राजस्थान सरकार जर्ये नायब तहसीलदार दबलाना जिला बून्दी (राज0) – रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 08.08.2016
नायब तहसीलदार, दबलाना
अन्तर्गत धारा 22 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम
अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम।

उपस्थित :–
अपीलांट की ओर से – श्री कैलाश चंद गुप्ता, अभिभाषक।
रेस्पोडेन्ट की ओर से – पेरोकार सरकार

–: निर्णय :–

यह अपील नायब तहसीलदार, दबलाना द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.08.2016 से अप्रसन्न होकर अपीलान्ट ने अंतर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम के तहत इस न्यायालय में पेश की गई है। अपीलाधीन आदेश के तहत अपीलान्ट को आराजी खसरा नम्बर 1485 रकबा 05 बीघा किस्म चरागाह वाके ग्राम सोरण तहसील हिण्डोली का अतिचारी मानते हुये धारा 22 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम के तहत बेदखली से पैनाल्टी 500/– रूपये एवं 90 दिन सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी।

बहस अभिभाषक अपीलान्ट व पेरोकार सरकार सुनी गयी।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यो को दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय वस्तु स्थिति व विधान एवं प्रक्रिया के सर्वथा विपरित होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को कोई विधिवत नोटिस या सूचना नहीं दी गई है। अपीलान्ट की अनुपस्थिति दर्ज करके एकपक्षीय आदेश पारित किया गया है। अपीलान्ट को अपना जवाब शहादत एवं साक्ष्य पेश

करने का कोई समुचित अवसर नहीं दिया है। मात्र हल्का पटवारी की असत्य रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित किया गया है। अपीलान्ट पश्चातवर्ती नहीं है। अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय ने बिना पश्चातवर्ती साबित किये कारावास की सजा से दण्डित किया गया है जो निरस्तनीय है। वर्तमान में अपीलान्ट का विवादित भूमि पर कब्जा नहीं है तथा कब्जा छोड़ दिया है। राजस्व पैनाल्टी जमा करा दी है, कोई बकाया नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त फरमाया जावे।

पेरोकार–सरकार ने बहस के दौरान अपने मौखिक तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलान्ट ने राजकीय चरागाह भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत् नोटिस दिया गया है तथा अपीलान्ट को सुनवाई का अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अवसर दिया गया है। अपीलान्ट ने पटवारी रिपोर्ट के अनुसार चरागाह भूमि पर कब्जा कर बाडाबन्दी कर रखी है तथा अतिक्रमण कर रखा है। अपीलान्ट ने अतिक्रमण भूमि से कब्जा नहीं छोड़ा है, कब्जा छोड़ने बाबत् कोई साक्ष्य, पटवारी रिपोर्ट आदि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध नहीं है अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत रखा जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध रिपोर्ट पटवारी के अवलोकन से प्रकट है कि अपीलान्ट ने विवादित भूमि पर अतिक्रमण किया है। पटवारी रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत नोटिस दिया गया है। अपीलान्ट द्वारा जिस भूमि पर अतिक्रमण किया गया है वह चरागाह भूमि है जिस पर किसी भी व्यक्ति को अतिक्रमण व कब्जा करने का अधिकार नहीं है। अपीलान्ट ने विवादित भूमि पर कब्जा एवं बाड लगाकर अतिक्रमण किया है तथा अपीलान्ट ने बहुत अधिक चरागाह भूमि पर कब्जा कर रखा है। अतः परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत रखा जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 29.06.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

29.6.18

(नरेश कुमार मालव R.A.S.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
बून्दी (राज0)